मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 120
21.07.2025 को उत्तर के लिए

वृक्षारोपण अभियान

120. श्री दर्शन सिंह चौधरी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार नर्मदा नदी के किनारे वृक्षारोपण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और अनुरक्षण), नीति-2015 के अधिदेश के अनुसार वृक्षारोपण करता है, जिसमें आईआरसी: एसपी:21-2009 दिशानिर्देशों में परिभाषित परियोजना क्षेत्र के कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुसार दिशानिर्देशों और प्रजाति मैट्रिक्स का पालन किया जाता है। वार्षिक वृक्षारोपण कार्य योजना के माध्यम से प्रति वर्ष वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान, अब तक एनएचएआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गों और मध्य क्षेत्रों में 469.75 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।

(ख) नर्मदा नदी के किनारे वृक्षारोपण के लिए भारत सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार नर्मदा नदी सहित अन्य नदी तटों पर वृक्षारोपण करने के लिए राज्य बजट आवंटन के अतिरिक्त, काम्पा, मिष्टी, नगर वन आदि जैसी कई योजनाओं के अंतर्गत वनीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि उपलब्ध कराती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे 5,600 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के लिए 'अविरल निर्मल नर्मदा' के कार्यान्वयन हेतु प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (काम्पा) के अंतर्गत 70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) सरकार संरक्षण के प्रति अपने समग्र दृष्टिकोण के तहत उत्सर्जन को कम करने, भूमि अवक्रमण से निपटने, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और जैव विविधता को समृद्ध करने के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसे कार्बन सिंक को बढ़ाने और अवक्रमित पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए हरित भारत जैसे मिशनों का समर्थन प्राप्त है। नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है, जबकि राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और भूमि पुनर्स्थापन का मार्गदर्शन करती है। मृदा स्वास्थ्य को स्थायी तरीकों और मृदा स्वास्थ्य कार्डों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। वनीकरण नगर वन योजना, काम्पा आदि के अंतर्गत किया जाता है, जबकि वन्यजीव संरक्षण को प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट जैसी प्रजाति-विशिष्ट परियोजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित योजना, वन्यजीव पर्यावास के एकीकृत विकास के माध्यम से सहयोग दिया जाता है। आर्द्रभूमि और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जिसमें तटरेखा पर्यावास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) के तहत मैंग्रोव बहाली भी शामिल है, जैव विविधता और जलवायु अनुकूलता में योगदान देती है। अतिरिक्त प्रयासों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और अपशिष्ट प्रबंधन एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) अवसंरचना शामिल है। "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत मार्च, 2025 तक 142 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 1,022 हो गई है, जिनमें 220 सामुदायिक रिजर्व, 57 बाघ रिजर्व और 33 हाथी रिजर्व शामिल हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का 25.17% भाग वन एवं वृक्षों से आच्छादित है, जिससे 2.29 बिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) समतुल्य कार्बन सिंक उत्पन्न होता है। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन विधायी, विनियामक और प्रशासनिक उपायों से युक्त बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली को एकीकृत करता है।

*****